सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान
CSIR - NATIONAL GEOPHYSICAL RESEARCH INSTITUTE
उप्पल रोड, हैदराबाद, तेलंगाना UPPAL ROAD, HYDERABAD, TELANGANA -500007
https://www.ngri.res.in/

विज्ञापन संख्या 01/2026 दिनांक 05.09.2026

सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (CSIR-NGRI), हैदराबाद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के तहत एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थान है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।

सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (CSIR-NGRI), नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को भरने के लिए केवल भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

पद कोड	पद का नाम	पदों की संख्या और आरक्षण की स्थिति	वेतन स्तर / वेतन मैट्रिक्स एवं कुल परिलब्धियां	** आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
T	तकनीशियन (1) ग्रुप.II (1)	कुल पद = 21 अनारक्षित-15# आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 02 अनुसूचित जाति - 03 अनुसूचित जनजाति -01	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का स्तर- 02 [₹19,900 - ₹63,200] (अनुमानित कुल परिलब्धियां ₹39,970/- प्रति माह, जिसमें मूल वेतन, डीए, एचआरए, टीए, टीए पर डीए, आदि शामिल हैं।)	28** years

कुल 15 पदों में से, एक (1) पद दिव्यांगजन-ओएच (PwBD-OH: शारीरिक रूप से विकलांग/अस्थि-विकलांग) के लिए आरक्षित है, एक (1) पद दिव्यांगजन-एचएच (PwBD-HH: सुनने में असमर्थ/कम सुनने वाले) के लिए आरक्षित है और दो (2) पद भूतपूर्व सैनिकों (ESM) के लिए आरक्षित हैं।

* कुल उपलब्धियों (Total Emoluments) का तात्पर्य 'X' श्रेणी के शहर में मकान किराया भत्ता (HRA) सहित वेतन स्तर (Pay Level) के न्यूनतम वेतन पर मिलने वाली अनुमानित कुल उपलब्धियों से है।

** **सामान्य जानकारी एवं शर्तें: क्रम संख्या 3 – आरक्षण नियम एवं छूट के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के मानक विवरण नीचे दिए गए हैं।.**

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर (Abbreviations used): UR: अनारक्षित (Unreserved), SC: अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), ST: अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe), OBC (NCL): अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर (Other Backward Class - Non-Creamy Layer), EWS: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section), PwBD-OH: बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति - अस्थि-विकलांग (Persons with Benchmark Disabilities - Orthopaedically Handicapped), PwBD-HH: बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति - कम सुनने वाले / श्रवण बाधित (Persons with Benchmark Disabilities – Hard of Hearing), ESM: भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen)

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि : 05.09.2026 (शनिवार) सुबह 10:00 बजे से
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 04.10.2026 (रविवार) शाम 06:00 बजे तक

सीएसआईआर (CSIR) ऐसा कार्यबल बनाने के लिए प्रयासरत है जिसमें लैंगिक संतुलन (जेंडर बैलेंस) दिखाई दे और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अनिवार्य योग्यता, कार्य की आवश्यकता और रिक्तियों की संख्या का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:पद का नाम: तकनीशियन (1)/ग्रेड II (1) [Technician (1)/Gr. II (1)]

पद कोड	**पद (ट्रेड), पदों की संख्या और आरक्षण**	**अनिवार्य योग्यता**	**कार्य की आवश्यकताएं**
टि101	तकनीशियन (फिटर) [TECHNICIAN (FITTER)] 01 पद [अनारक्षित (UR)-1]	एसएससी / 10वीं कक्षा / विज्ञान विषयों के साथ एसएससी या समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और फिटर ट्रेड (FITTER TRADE) में आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और फिटर ट्रेड (FITTER TRADE) में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपरेंटिस ट्रेनी के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त निकाय में फिटर ट्रेड (FITTER TRADE) में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	पदधारी को फिटिंग और बेंच वर्क से जुड़े कार्य / ऑप्टो-मैकेनिकल घटकों की असेंबली करने और कार्यशाला (वर्कशॉप) / ऑप्टिकल मशीनरी के मरम्मत व रखरखाव के कार्यों को संभालने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, पदधारी को छात्रों को फाइलिंग (filing) और बेंच वर्क के कार्यों में प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता होगी।
टि102	तकनीशियन (प्लंबर) [TECHNICIAN (PLUMBER)] 01 पद [अनुसूचित जाति (SC)-1]	एसएससी / 10वीं कक्षा / विज्ञान विषयों के साथ एसएससी या समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और प्लंबर ट्रेड (PLUMBER TRADE) में आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और प्लंबर ट्रेड (PLUMBER TRADE) में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपरेंटिस ट्रेनी के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त निकाय में प्लंबर ट्रेड (PLUMBER TRADE) में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	पदधारी को संस्थान में प्लंबिंग (नलसाजी) से संबंधित कार्यों को संभालने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, पदधारी को जल निकासी (ड्रेनेज) की सफाई के साथ-साथ जल वितरण / अपशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) की आपूर्ति और प्रबंधन के सुचारू संचालन का कार्य भी करना होगा।

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India

पद कोड	पद (ट्रेड), पदों की संख्या और आरक्षण	अनिवार्य योग्यता	कार्य की आवश्यकताएं
टि103	तकनीशियन (इलेक्ट्रीशियन) [TECHNICIAN (ELECTRICIAN)] 01 पद [अनारक्षित (भूतपूर्व सैनिक) [UR(ESM)] - 01]	एसएससी / 10वीं कक्षा / विज्ञान विषयों के साथ एसएससी या समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (ELECTRICIAN TRADE) में आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (ELECTRICIAN TRADE) में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपरेंटिस ट्रेनी के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त निकाय में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (ELECTRICIAN TRADE) में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	पदधारी को सब-स्टेशनों, जेनरेटर सेटों (Gen sets), केबलों (Cables), आंतरिक वायरिंग, मोटर वाइंडिंग (Motor winding), ट्रांसफार्मर वाइंडिंग (transformer windings), विद्युत उपकरणों और विद्युत प्रतिष्ठानों/ मशीनों/ उपकरणों (electrical installations / machines / equipment) के संचालन, मरम्मत और रखरखाव से जुड़े कार्यों को संभालने की आवश्यकता होगी।
टि104	तकनीशियन (कंप्यूटर / आईटी सहायक) [TECHNICIAN (COMPUTER / IT ASSISTANT)] 11 पद [अनारक्षित (UR)-06, अनारक्षित (दिव्यांगजन-अस्थि विकलांग) [UR(PwBD-OH)]-01, अनारक्षित (दिव्यांगजन-श्रवण बाधित) [UR(PwBD-HH)]-01, अनुसूचित जाति (SC)-02, अनुसूचित जनजाति (ST)-01]	एसएससी / 10वीं कक्षा / विज्ञान विषयों के साथ एसएससी या समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपरेंटिस ट्रेनी (apprentice trainee) के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त निकाय में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	पदधारी को कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरणों (peripherals), लोकल एरिया नेटवर्क (LAN), पहचान पत्र (ID card) प्रिंटर के संचालन और डेटा एंट्री, इंट्रानेट अपलोडिंग, वेबसाइट अपलोड आदि के रखरखाव का कार्य करने की आवश्यकता होगी।

भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

पद कोड	पद (ट्रेड), पदों की संख्या और आरक्षण	अनिवार्य योग्यता	कार्य की आवश्यकताएं
टि105	तकनीशियन (डिजिटल फोटोग्राफर) [TECHNICIAN (DIGITAL PHOTOGRAPHER)] 01 पद [अनारक्षित (UR)-01]	एसएससी / 10वीं कक्षा / विज्ञान विषयों के साथ एसएससी या समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और डिजिटल फोटोग्राफर (DIGITAL PHOTOGRAPHER) ट्रेड में आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और डिजिटल फोटोग्राफर (DIGITAL PHOTOGRAPHER) ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपरेंटिस ट्रेनी (apprentice trainee) के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त निकाय में डिजिटल फोटोग्राफर (DIGITAL PHOTOGRAPHER) ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	पदधारी को डिजिटल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंप्यूटर संचालन, फोटोशॉप और अन्य आधुनिक उपकरणों के उपयोग से जुड़े कार्यों को संभालने की आवश्यकता होगी।
टि106	तकनीशियन (प्रयोगशाला सहायक-रासायनिक संयंत्र) [TECHNICIAN (LABORATORY ASSISTANT-CHEMICAL PLANT)] 02 पद [अनारक्षित (UR)-01, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)-01]	एसएससी / 10वीं कक्षा / विज्ञान विषयों के साथ एसएससी या समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र) [LABORATORY ASSISTANT (CHEMICAL PLANT)] ट्रेड में आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र) [LABORATORY ASSISTANT (CHEMICAL PLANT)] ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपरेंटिस ट्रेनी (apprentice trainee) के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त निकाय में प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र) [LABORATORY ASSISTANT (CHEMICAL PLANT)] ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	पदधारी को प्रयोगशाला अभिलेखों (लैब रिकॉर्ड्स), रसायनों की लॉगबुक का प्रबंधन करके और प्रयोगशाला की उपभोग्य सामग्रियों (कंज्यूमेबल्स) को व्यवस्थित करके अनुसंधान एवं विकास (R&D) टीमों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

सीएसआईआर भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India

पद कोड	पद (ट्रेड), पदों की संख्या और आरक्षण	अनिवार्य योग्यता	कार्य की आवश्यकताएं
टि107	तकनीशियन (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन) [TECHNICIAN (MEDICAL LAB TECHNICIAN)] 01 पद [अनारक्षित (UR)-1]	एसएससी / 10वीं कक्षा / विज्ञान विषयों के साथ एसएससी या समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन (MEDICAL LAB TECHNICIAN) ट्रेड में आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन (MEDICAL LAB TECHNICIAN) ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपरेंटिस ट्रेनी (apprentice trainee) के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त निकाय में चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन (MEDICAL LAB TECHNICIAN) ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	पदधारी को सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) औषधालय की पैथोलॉजी लैब में पैथोलॉजिस्ट (विकृति विज्ञानी) के कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता होगी।
टि108	तकनीशियन (फिजियोथेरेपी तकनीशियन) [TECHNICIAN (PHYSIOTHERAPY TECHNICIAN)] 01 पद [अनारक्षित (UR)-01]	एसएससी / 10वीं कक्षा / विज्ञान विषयों के साथ एसएससी या समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और फिजियोथेरेपी तकनीशियन (PHYSIOTHERAPY TECHNICIAN) ट्रेड में आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और फिजियोथेरेपी तकनीशियन (PHYSIOTHERAPY TECHNICIAN) ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपरेंटिस ट्रेनी (apprentice trainee) के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त निकाय में फिजियोथेरेपी तकनीशियन (PHYSIOTHERAPY TECHNICIAN) में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	पदधारी को फिजियोथेरेपी में चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल ऑफिसरों) और वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्टों की सहायता करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, मरीजों की फिजियोथेरेपी करने और उससे संबंधित उपकरणों को संचालित करने की आवश्यकता होगी। पदधारी को शिफ्ट के आधार पर दैनिक कार्यों को भी संभालना होगा।

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India

पद कोड	पद (ट्रेड), पदों की संख्या और आरक्षण	अनिवार्य योग्यता	कार्य की आवश्यकताएं
टि109	तकनीशियन (खान-पान और आतिथ्य सहायक) [TECHNICIAN (CATERING & HOSPITALITY ASSISTANT)] 02 पद [अनारक्षित (भूतपूर्व सैनिक) [UR(ESM)]-01, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)-01]	एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और खान-पान और आतिथ्य सहायक ट्रेड में आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और खान-पान और आतिथ्य सहायक ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपरेंटिस ट्रेनी के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **अथवा (OR)** एसएससी / 10वीं कक्षा या विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त निकाय में खान-पान और आतिथ्य, खाद्य एवं पेय पदार्थ (F&B), पर्यटन या अतिथि गृह प्रबंधन) में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	पदधारी को कैंटीन और अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) के प्रभारी (इन-चार्ज) की सहायता करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, संस्थान की समिति की बैठकों (कमेटी मीटिंग्स) के स्थानों पर खान-पान (कैटरिंग) का कार्य संभालना होगा। यदि आवश्यक हो, तो पदधारी को विषम समय, छुट्टियों के दिनों में और आपातकालीन बुलावेपर भी संस्थान के आवश्यक कार्यों को पूरा करना होगा।

वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 [रु. 19900-63200] में ग्रुप-II (1) / तकनीशियन (1) के पदों की रिक्तियों का संक्षिप्त विवरण (ट्रेड के अनुसार) नीचे दिए गए विवरण के मुताबिक है:

पद कोड	पद (ट्रेड)	पदों की संख्या	आरक्षित						
			UR#	**UR(PWD-OH)#**	**UR(PWD-HH)#**	**UR(ESM)#**	**SC**	**ST**	**EWS**
टि101	तकनीशियन (फिटर) [Technician (Fitter)]	1	1	-	-	-	-	-	-
टि102	तकनीशियन (प्लंबर) [Technician (Plumber)]	1	-	-	-	-	1	-	-
टि103	तकनीशियन (इलेक्ट्रीशियन) [Technician (Electrician)]	1	-	-	-	1	-	-	-
टि104	तकनीशियन (कंप्यूटर / आईटी सहायक) [Technician (Computer / IT Assistant)]	11	6	1	1	-	2	1	-
टि105	तकनीशियन (डिजिटल फोटोग्राफर) [Technician (Digital Photographer)]	1	1	-	-	-	-	-	-
टि106	तकनीशियन (प्रयोगशाला सहायक-रासायनिक संयंत्र) [Technician (Laboratory Assistant-Chemical Plant)]	2	1	-	-	-	-	-	1
टि107	तकनीशियन (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन) [Technician (Medical Laboratory Technician)]	1	1	-	-	-	-	-	-
टि108	तकनीशियन (फिजियोथेरेपी तकनीशियन) [Technician (Physiotherapy Technician)]	1	1	-	-	-	-	-	-
टि109	तकनीशियन (खान-पान और आतिथ्य सहायक) [Technician (Catering & Hospitality Assistant)]	2	-	-	-	1	-	-	1
	Total	**21**	**11**	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**

कुल UR 15 पदों में से, एक पद दिव्यांगजन (PwBD-OH: अस्थि विकलांग) के लिए, एक पद दिव्यांगजन (PwBD-HH: श्रवण बाधित) के लिए और दो पद भूतपूर्व सैनिकों (ESM) के लिए आरक्षित हैं।

<u>सामान्य जानकारी एवं शर्तें (General Information and Conditions):</u>

1. <u>परिषद सेवा के तहत लाभ (Benefits under Council service):</u>

क. इन पदों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य तथा संबंधित तैनाती स्थल पर सीएसआईआर (CSIR) कर्मचारियों पर लागू होने वाले सामान्य भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) आदि देय होंगे। परिषद के कर्मचारी उपलब्धता के आधार पर सीएसआईआर आवास आवंटन नियमों (CSIR Residence Allotment Rules) के अनुसार आवास के भी पात्र हैं। यदि परिषद या सरकारी आवास का उपयोग किया जाता है, तो मकान किराया भत्ता (HRA) नहीं दिया जाएगा।.

ख. उपलब्धियों (emoluments) के अतिरिक्त, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (Reimbursement of Medical Expenses), अवकाश यात्रा रियायत (Leave Travel Concession - LTC) और बच्चों के शिक्षा भत्ते (Children’s Education Allowances) आदि जैसे लाभ भी परिषद के कर्मचारियों पर लागू सीएसआईआर (CSIR) या भारत सरकार (GoI) के नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं।

ग. सभी नए प्रवेशकों (New Entrants) को "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" (National Pension System - NPS) या नए प्रवेशकों के लिए परिभाषित अंशदान (defined Contributions) पर आधारित मौजूदा पेंशन प्रणाली द्वारा शासित किया जाएगा, जैसा कि सीएसआईआर (CSIR) द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया गया है। हालांकि, अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU)/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चुने गए ऐसे व्यक्ति जो 01.01.2004 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और जिनके पास भारत सरकार के पैटर्न पर पेंशन योजना है, वे नियमों के अनुसार मौजूदा पेंशन योजना यानी सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 और 2021 (CCS (Pension) Rules, 1972 & 2021) द्वारा शासित होते रहेंगे।

घ. सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, भारत सरकार द्वारा बनाए गए मौलिक और पूरक नियमों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य नियम और आदेश, परिषद के कर्मचारियों पर उस सीमा तक लागू होंगे, जिस तक वे लागू करने योग्य हों ।

ङ. सभी पद 'अखिल भारतीय सेवा दायित्व' (एआईएसएल) के अंतर्गत आते हैं, अर्थात चयन होने पर उम्मीदवार को देश में कहीं भी सेवा देने के लिए कहा जा सकता है।

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

2. <u>अन्य शर्तें (Other Conditions):</u>

क. आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

ख. सभी आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक पद की आवश्यक योग्यताओं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट कर लें कि उनके पास आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं हैं। पात्रता के संबंध में

सलाह मांगने वाली किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपियां न भेजें।

ग. निर्धारित आवश्यक योग्यता (योग्यताएं) / अनुभव न्यूनतम हैं, और केवल इनका होना ही उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट / प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का पात्र नहीं बनाता है। विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी (छंटनी समिति) उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी। इसलिए, उम्मीदवार को आवेदन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक संबंधित क्षेत्रों की अपनी सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए, और इसके समर्थन में दस्तावेज भी संलग्न करने चाहिए। निर्धारित योग्यताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि, मामला जो भी हो, अनंतिम प्रमाणपत्र (प्रोविजनल सर्टिफिकेट) जारी होने की तिथि, परिणाम की अधिसूचना (नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट), या डिग्री प्रदान किए जाने की तिथि (अवार्ड डेट) के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

घ. उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट / प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में देने के लिए अपने विकल्प का उल्लेख करना चाहिए। उम्मीदवारों को केवल उसी माध्यम में ट्रेड टेस्ट / प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जिसका विकल्प उन्होंने चुना है। यदि कोई उम्मीदवार माध्यम का उल्लेख नहीं करता है, तो माना जाएगा कि उसने अंग्रेजी माध्यम का विकल्प चुना है। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए माध्यम के विकल्प को ट्रेड टेस्ट / प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा के लिए अंतिम माना जाएगा, और माध्यम में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ङ. **उम्मीदवारों की स्क्रिनिंग (छंटनी) ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किए गए दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर की जाएगी। यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में गलत या झूठी जानकारी दी है, तो चयन के बाद भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और ऐसी गलत/अशुद्ध जानकारी देने से होने वाले किसी भी परिणाम के लिए सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए, उम्मीदवार यह सुनिश्चित अवश्य करें कि ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की गई सभी जानकारी सटीक और सही हो।**

च. आवश्यक योग्यताओं में समकक्षता संबंधी खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष होने का दावा कर रहा है, तो उम्मीदवार को इस संबंध में वह आदेश/पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और तिथि सहित) का उल्लेख हो जिसके तहत इसे समकक्ष माना गया है, अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। योग्यता (योग्यताओं) की समकक्षता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में निदेशक, सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

छ. **जो आवेदन उचित रूप से नहीं भरे गए हैं, या आवश्यक प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के बिना अपलोड किए गए हैं, या निर्दिष्ट माध्यम के अलावा अन्य माध्यम से अथवा निर्दिष्ट तिथियों के बाद जमा किए गए हैं, उन्हें सरसरी तौर पर (तुरंत) खारिज कर दिया जाएगा।**

ज. यदि कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी (राजपत्रित अधिकारी) या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित (अटेस्टेड) उसकी प्रतिलिपि (ट्रांसस्क्रिप्ट) जमा करनी होगी।

झ. **ऊपरी आयु सीमा, योग्यता और/या अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि, यानी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।**

ञ. **ट्रेड टेस्ट/प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन, आदि में शामिल होने के लिए किसी भी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टीए/डीए) का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

ट. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में प्रत्यक्ष जानकारी के बीच कोई भी विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवार को पद के लिए अपात्र माना जाएगा।

ठ. नियुक्ति प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि आवश्यक हो, तो वह किसी भी या सभी पदों को न भरने का निर्णय भी ले सकता है।

ड. **पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन के तरीके और परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी मामलों में उम्मीदवारों पर निदेशक, सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।**

ढ. चयनित पदाधिकारियों को सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) में तैनात किया जाएगा। लेकिन उन्हें पूरे भारत में सीएसआईआर (CSIR) की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई में स्थानांतरित किया जा सकता है।

ण. किसी भी रूप में पैरवी करने और/या कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालने को पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

त. **ट्रेड टेस्ट / प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा की तिथि या स्थिति के अनुसार कोई भी अन्य अपडेट केवल सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक एक सक्रिय ईमेल आईडी रखें ताकि वर्तमान विज्ञापन के संबंध में कॉल लेटर (बुलावा पत्र) सहित अन्य सभी अपडेट प्राप्त कर सकें।**

थ. चयनित उम्मीदवारों को पद का कार्यभार संभालने की तिथि से एक विशिष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रखा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, मौजूदा नियमों के अनुसार उनकी सेवा की संपुष्टि (कंफर्मेशन) पर विचार किया जाएगा।

द. उम्मीदवारों को इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि क्या उनका कोई सगा/निकट संबंधी [काउंसिल (परिषद) के कर्मचारी से संबंध के अंतर्गत पत्नी या पति, बेटा या बेटी, माता-पिता, भाई या बहन अथवा उनमें से किसी से भी रक्त या विवाह द्वारा संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे काउंसिल के कर्मचारी पर आश्रित हों या नहीं] सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) या सीएसआईआर (CSIR) की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई में कार्यरत है।

ध. **चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि के दौरान कहीं और नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यदि उन्होंने कार्यभार संभालने से पहले किसी अन्य संगठन में किन्हीं पदों के लिए आवेदन किया है, तो उन्हें संस्थान में शामिल होने (जॉइन करने) के तुरंत बाद ऐसे आवेदनों के विवरण की सूचना देनी होगी।**

न. **वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/साविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) आदि में नियमित कर्मचारियों के रूप में कार्यरत आवेदकों को अपने विभाग या कार्यालय को सूचित करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपने नियोक्ता से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) तथा आयु सीमा में छूट के दावे का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अपलोड करना होगा (संलग्न प्रारूप के अनुसार), ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऩ. **भूतपूर्व सैनिकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सेवामुक्ति प्रमाण पत्र) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।**

प. **अनुभव प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) में रोजगार की प्रारंभ तिथि, समाप्ति तिथि, रोजगार की अवधि (दिन, महीना और वर्ष) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जिसमें उस पदनाम/रैंक/पद पर पूरी सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और/या समेकित (कंसोलिडेटेड) वेतन के साथ वेतनमान (पे स्केल) दर्शाया गया हो। अनुभव प्रमाण पत्र में प्रत्येक वेतन स्तर (पे लेवल) पर धारित सभी पदों/पदनामों/रैंकों (वर्तमान पद सहित) का पूरा विवरण, पद (पदों) पर निभाए गए कर्तव्यों की प्रकृति/प्राप्त अनुभव और उनकी अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जो कि अनुबंध-XI (Annexure-XI) में दिए गए नमूना प्रारूप (सैंपल फॉर्मेट) के अनुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।**

फ. **नियुक्ति का प्रस्ताव (ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट)/नियुक्ति पत्र/प्रशंसा पत्र/पे-स्लिप (वेतन पर्ची)/स्थानांतरण या पदोन्नति आदेश/जॉइनिंग आदेश/सेवा विस्तार आदेश/अहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र/स्व-रोजगार अनुभव प्रमाण पत्र/पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) को अनुभव का वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा।**

ब. **ट्रेड टेस्ट/स्किल टेस्ट/प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु वैध अनुभव की गणना करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक (पार्ट-टाइम) आधार, दैनिक मजदूरी, विजिटिंग/गेस्ट फैकल्टी (अतिथि शिक्षक) के रूप में दी गई अनुभव अवधि को नहीं गिना जाएगा।**

भ. **उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता/जाति/श्रेणी/अनुभव (यदि कोई हो) का आवश्यक विवरण अवश्य जमा करना होगा। अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।**

म. संस्थान किसी भी समय, या नियुक्ति के कार्यकाल के दौरान आवेदक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों या उनके पूर्ववृत्त (कंडक्ट/बैकग्राउंड) का सत्यापन करेगा। यदि यह पाया जाता है कि आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज फर्जी हैं या आवेदक का पूर्ववृत्त/पृष्ठभूमि संदेहास्पद/अस्वीकार्य है और उसने कोई जानकारी छिपाई थी, तो संबंधित व्यक्ति की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती हैं और इसके अतिरिक्त, कानून के अनुसार ऐसे आवेदकों/कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को संस्थान द्वारा जारी किए गए नियुक्ति आदेश तब तक अनंतिम (प्रोविजनल) रहेंगे जब तक कि संस्थान को उपयुक्त प्राधिकारी से चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन (क्लियरेंस) प्राप्त नहीं हो जाता।

य. उपरोक्त पदों के लिए भर्ती समय-समय पर संशोधित "वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए सीएसआईआर सेवा नियम, 1994" द्वारा शासित होती है। इसलिए, अन्य सभी नियम और शर्तें जो इसमें निर्धारित नहीं हैं, उक्त भर्ती नियमों के अनुसार लागू होंगी।

र. इस विज्ञापन से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद केवल हैदराबाद में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र (क्षेत्राधिकार) के अधीन होगा।

ऱ. सक्षम प्राधिकारी के पास, यदि आवश्यक हो, बिना कोई कारण बताए इस विज्ञापन में नियमों और शर्तों को संशोधित करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।

ल. किसी भी प्रकार का लाभ/छूट/रियासत का कपटपूर्ण दावा करने और कदाचार सहित किसी भी कदाचरण (malpractice) के लिए, सक्षम प्राधिकारी किसी भी उम्मीदवार को डिबार (वर्जित) करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ळ. ट्रेड टेस्ट और संबंधित विषय (प्रश्न-पत्र-III) का पाठ्यक्रम (syllabus) उचित समय पर, जहाँ कहीं भी लागू हो, प्रकाशित किया जाएगा।

ऴ. ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट पर उल्लिखित CSIR-NGRI ईमेल पता, केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से संबंधित परिचालन संबंधी (operational) समस्याओं के समाधान के लिए ही है।

व. **किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

3. <u>आयु सीमा और छूट (Age Limit and Relaxations):</u>

क. विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने/जमा करने की अंतिम तिथि को तकनीशियन (Technicians) के पद के लिए ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष है।

ख. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष है।

ग. प्रत्येक पद के लिए ऊपरी आयु सीमा, योग्यता और/या अनुभव निर्धारित करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी।

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India

क्रम संख्या	श्रेणी **(Category)**	ऊपरी आयु सीमा से अधिक अनुमेय आयु-छूट (**Age-relaxation permissible beyond the Upper age limit)**
1	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST)	05 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन-क्रीमी लेयर (OBC - Non-Creamy Layer)	03 वर्ष
3	दिव्यांगजन - अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस (PwBD - UR/EWS)	10 वर्ष
4	दिव्यांगजन - अन्य पिछड़ा वर्ग (PwBD - OBC)	13 वर्ष
5	दिव्यांगजन - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (PwBD - SC/ST)	15 वर्ष
6	भूतपूर्व सैनिक (ESM) - अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस के मामले में 03 वर्ष; अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 06 वर्ष; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 08 वर्ष - ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से की गई वास्तविक सैन्य सेवा की अवधि को घटाने के बाद।
7	सीएसआईआर के नियमित कर्मचारी / सरकारी विभाग / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी	05 वर्ष; बशर्ते वे निर्धारित आवश्यक योग्यता(एँ) रखते हों। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए छूट जारी रहेगी।
8	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं / ऐसी महिलाएं जो कानूनी रूप से अलग हो चुकी हैं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अनारक्षित / ईडब्ल्यूएस / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)	अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 35 वर्ष की आयु तक; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 40 वर्ष की आयु तक
9	कोई अन्य आयु छूट	भारत सरकार (GoI) / डीओपीटी (DoPT) / सीएसआईआर (CSIR) के वर्तमान नियमों के अनुसार

घ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन (SC/ST/OBC(NCL)/EWS/PwBD) की आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदनों के साथ अपने प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और भारत सरकार (GoI) के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

ङ. लागू सरकारी आदेशों के अनुसार, ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति [SC] / अनुसूचित जनजाति [ST] के लिए 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग [OBC(NCL)] के लिए 03 वर्ष की छूट केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी जहाँ पद/रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC(NCL)) के उम्मीदवार जो उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए पदों अर्थात् अनारक्षित (UR) पदों के विरुद्ध आवेदन करते हैं, वे आयु छूट के पात्र नहीं होंगे और उनके चयन के संबंध में उनके साथ सामान्य उम्मीदवारों के समान ही व्यवहार किया जाएगा [हालांकि, ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क छूट लागू होगी]।

च. **अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्रों को भारत सरकार (GoI) के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉन-क्रीमी लेयर मानदंडों को भी पूरा करना होगा, न कि उन राज्यों के सरकारी आदेशों के संदर्भों वाले किसी भी संघ के राज्यों में नियुक्ति के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन-क्रीमी लेयर (OBC - NCL) से संबंधित उम्मीदवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के बाद दिनांक 01.04.2026 को या उसके बाद जारी किया गया नवीनतम OBC (NCL) प्रमाणपत्र, लेकिन ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले का, स्कैन प्रति के रूप में अपलोड करना होगा।**

छ. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध जातियों पर आधारित होगी, और उनकी उप-जाति इस सूची की प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए; अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी पर किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत विचार नहीं किया जाएगा और अन्यथा पात्र होने पर उन्हें अनारक्षित (UR) माना जाएगा। "क्रीमी लेयर" के अंतर्गत आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए उपलब्ध रियायतों के हकदार नहीं हैं और उन्हें अपनी श्रेणी 'सामान्य' (General) दर्शानी होगी। ओबीसी (एनसीएल) से संबंधित उम्मीदवार अनुलग्नक-IV में संलग्न निर्धारित प्रारूप में ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र जमा करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी को ओबीसी (एनसीएल) के खिलाफ पद के लिए नहीं माना जाएगा, लेकिन अन्यथा योग्य होने पर अनारक्षित के लिए विचार किया जा सकता है।

ज. **इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन-क्रीमी लेयर (OBC - Non-Creamy Layer) के उम्मीदवारों को तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक 'घोषणा पत्र' (Form of Declaration) भी प्रस्तुत करना होगा कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर (OBC - Creamy Layer) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।**

झ. ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को लागू डीओपीटी (DoPT) कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरक्षण) दिनांक 31.01.2019 और इस संबंध में लागू भारत सरकार के किसी भी अन्य निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाणपत्र (Income and Asset certificate) प्रस्तुत करने की निर्णायक/कट-ऑफ तिथि पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी। निर्णायक/कट-ऑफ तिथि के बाद और बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ञ. इसके अतिरिक्त, परिवार की सकल वार्षिक आय (Family Gross Annual Income) की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण का लाभ पाने के लिए केवल उसी स्थिति में पात्र होगा, जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता हो और उसके पास वित्तीय वर्ष (FY) 2025-2026 की आय पर आधारित तथा दिनांक 01.04.2026 को या उसके बाद (वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के बाद) लेकिन ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले का जारी किया गया आवश्यक आय और संपत्ति प्रमाणपत्र (Income & Asset Certificate) उपलब्ध हो।

ट. भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) के मामले में छूट, समय-समय पर जारी सीएसआईआर/भारत सरकार (CSIR/GoI) के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को, भूतपूर्व सैनिकों के लिए वास्तविक आयु

में से उनकी प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि को घटाने के बाद, ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 757 (ई), जो संख्या 36034/1/2006-स्था (आरक्षण) दिनांक 04.10.2012 के तहत जारी की गई है (समय-समय पर यथा संशोधित), में निर्धारित परिभाषा और मानदंडों को पूरा करते हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो अपने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का लाभ उठाकर पहले ही केंद्र सरकार के अधीन सिविल विंग में ग्रुप सी (Group C) के पदों पर नियमित आधार पर रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के पात्र नहीं हैं। (अनुलग्नक-VIII)

ठ. डीओपीटी (DoPT) कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/1/98-स्था. (आरक्षण) दिनांक 01.07.1998 के अनुसार, ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (SC/ST/OBC(NCL)) के उम्मीदवार जो उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए पदों के विरुद्ध आवेदन करते हैं, वे ऐसे पदों के संबंध में आयु छूट के पात्र नहीं होंगे, और उनके चयन के संबंध में उनके साथ अनारक्षित उम्मीदवारों के समान ही व्यवहार किया जाएगा।

ड. ऐसी विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाओं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, के लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता या भर्ती पद्धति में कोई छूट नहीं दी जाएगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए उनके लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष की आयु तक छूट)। इस उप-पैरा के तहत आयु छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:

(i) विधवा होने के मामले में, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और साथ में यह शपथ पत्र (Affidavit) कि उसने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है।

(ii) तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाओं के मामले में, तलाक या कानूनी अलगाव (जैसा भी मामला हो) के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की एक प्रमाणित प्रति, और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में यह शपथ पत्र कि उन्होंने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है।

ढ. **दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disability - PwBD) उम्मीदवारों के लिए आयु-छूट:**

भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांगजन (PwBD) उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयु सीमा में छूट इस तथ्य के बावजूद लागू होगी कि पद उनके लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते संबंधित पद को विकलांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त माना गया हो। यह सरकारी नियमों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित दिव्यांगताओं (benchmark disabilities) से ग्रसित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की आयु-छूट दी जाएगी [इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित 5 वर्ष की छूट सहित अधिकतम 15 वर्ष की आयु-छूट मिलेगी।

इसी प्रकार, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को OBC श्रेणी के लिए निर्धारित 3 वर्ष की आयु-छूट सहित अधिकतम 13 वर्ष तक की छूट मिलेगी]:

(i) श्रेणी A – दृष्टिहीनता और कम दृष्टि (blindness and low vision);
(ii) श्रेणी B – बधिर और सुनने में अक्षम (deaf and hard of hearing);
(iii) श्रेणी C – चलन दिव्यांगता (locomotor disability), जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क अंगघात (cerebral palsy), कुष्ठ रोग मुक्त (leprosy cured), बौनापन (dwarfism), तेजाब हमला पीड़ित (acid attack victims) और पेशीय दुष्पोषण (muscular dystrophy) शामिल हैं;
(iv) श्रेणी D – स्वलीनता (autism), बौद्धिक दिव्यांगता (intellectual disability), विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (specific learning disability) और मानसिक बीमारी (mental illness);
(v) श्रेणी E – खंड (A) से (D) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु-दिव्यांगता (multiple disabilities), जिसमें बधिर-अंधता (deaf-blindness) भी शामिल है।

विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट इस तथ्य के बावजूद स्वीकार्य होगी कि पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते संबंधित पद को विकलांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त माना गया हो।

नोट: उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" (THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016) के अनुसार होगी।

इस उप-पैरा के तहत आयु छूट का दावा करने वाले व्यक्ति पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के पात्र तभी होंगे, जब वे संबंधित दिव्यांगता (benchmark disability) से कम से कम 40% ग्रसित हों। ऐसे दिव्यांगजन (PwBD) जिन्होंने इस छूट का लाभ उठाया है, उन्हें दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 दिनांक 15.06.2017 के अध्याय 7 के नियम 18(1) के प्रपत्र (form) V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 (जिसे अब निरस्त कर दिया गया है) के तहत जारी मौजूदा दिव्यांगता प्रमाणपत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य रहेंगे। किसी भी स्थिति में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति ट्रेड टेस्ट/लिखित परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले प्रत्येक व्यक्तिगत पद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा फिटनेस के मानकों के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी। उनके द्वारा कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है। उन दिव्यांगजनों को एक वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनके पीडब्लूबीडी (PwBD) आरक्षण और छूट के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

The Innovation Engine of India

कृपया ध्यान दें: पीडब्लूबीडी (PwBD) उम्मीदवारों को अपने आवेदनों में अपनी जाति/समुदाय जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/सामान्य/ईडब्ल्यूएस (SC/ST/OBC(NCL)/GEN/EWS) का उल्लेख करना चाहिए और संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह एक क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservation) है। पीडब्लूबीडी श्रेणी के अंतर्गत किसी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र माना जाएगा जब वह (नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) आवेदित पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

पीडब्लूबीडी (PwBD) उम्मीदवारों के लिए प्रतिपूरक समय (Compensatory Time) और स्क्राइब (लेखक) की सहायता का प्रावधान:

(i) दृष्टिहीनता, चलन दिव्यांगता (दोनों बाहें प्रभावित - BA) और प्रमस्तिष्क अंगघात (cerebral palsy) की श्रेणी के दिव्यांगजन उम्मीदवारों के मामले में, यदि उम्मीदवार ऐसा चाहता है, तो प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा के लिए स्क्राइब (लेखक) की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ii) शेष दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए, स्क्राइब (लेखक) का प्रावधान एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध होगा, जो यह प्रमाणित करता हो कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है; यह प्रमाणपत्र संलग्न अनुलग्नक (Annexure) के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer) / सिविल सर्जन (Civil Surgeon) / चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

(iii) उम्मीदवार के पास स्वयं का स्क्राइब (लेखक) लाने या सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) द्वारा प्रदान की जाने वाली स्क्राइब की सुविधा का चयन करने का विवेक होगा। इस संबंध में उचित विकल्प उम्मीदवार को ईमेल: **career.ngri@csir.res.in** के माध्यम से देना होगा।

(iv) यदि उम्मीदवार स्वयं के स्क्राइब का विकल्प चुनता है, तो स्क्राइब की योग्यता हमेशा एसएससी (SSC) या उससे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्क्राइब को इस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए।

(v) स्वयं का स्क्राइब (लेखक) चुनने वाले दिव्यांगजन (benchmark disabilities) उम्मीदवारों को संलग्न अनुलग्नक (Annexure) के अनुसार अपने स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, स्क्राइब को परीक्षा के समय मूल रूप में एक वैध पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि) प्रस्तुत करना होगा। संलग्न अनुलग्नक के अनुसार उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों द्वारा हस्ताक्षरित स्क्राइब के पहचान प्रमाण की एक छायाप्रति (photocopy) इसके साथ जमा करनी होगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो उम्मीदवार पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावों को खो देगा।

(vi) पैरा (i) और (ii) में वर्णित अनुसार जिन व्यक्तियों को स्क्राइब (लेखक) के उपयोग की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय (compensatory time) प्रदान किया जाएगा। पैरा (i) और (ii) में संदर्भित वे उम्मीदवार जो स्क्राइब के उपयोग के पात्र हैं, लेकिन स्क्राइब की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

(vii) पात्र उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब (लेखक) के अलावा किसी भी अन्य परिचारक (attendant) को परीक्षा हॉल के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन पीडब्लूबीडी (PwBD) उम्मीदवारों ने स्क्राइब/पैसेज रीडर और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) के समय स्क्राइब/प्रतिपूरक

समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहने पर परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ण. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस (SC/ST/OBC(NCL)/PwBD/EWS) आदि उम्मीदवारों को मांगे जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। हालांकि, किसी विशिष्ट श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के दावे को इस विषय पर वर्तमान भारत सरकार (GoI) के दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

त. कोई भी अन्य आयु-छूट वर्तमान भारत सरकार (GoI) / सीएसआईआर (CSIR) भर्ती नियमों के अनुसार लागू होगी।

थ. यह ध्यान दिया जाए कि इन पदों पर नियुक्तियाँ अनंतिम (provisional) होंगी और उचित माध्यमों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त (character and antecedents), जाति प्रमाणपत्रों, शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, अनुभव प्रमाणपत्रों और किसी भी अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन होंगी। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि उम्मीदवार का दावा झूठा है या यह पता चलता है कि उम्मीदवार ने कोई जानकारी छिपाई है, तो बिना कोई अतिरिक्त कारण बताए उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जाएँगी; और झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) के प्रावधानों के तहत की जाने वाली आगामी कानूनी कार्रवाई पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. चयन की पद्धति - तकनीशियन (1) / ग्रुप.II (1) के पद के लिए:

- निदेशक, सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) द्वारा विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी (Screening Committee) द्वारा अनुशंसित/शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट (Trade Test) के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- ट्रेड टेस्ट का उद्देश्य कार्य की प्रकृति/नौकरी की आवश्यकता (Nature of Job/ Job requirement) में उल्लिखित उम्मीदवार के व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण करना है।
- चयन समिति (Selection Committee) ट्रेड टेस्ट की पद्धति का निर्णय करेगी और ट्रेड टेस्ट का आयोजन भी करेगी।
- ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त (qualify) करने वाले उम्मीदवार प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा (Competitive Written Examination - CWE) में भाग लेने के पात्र होंगे।
- अंतिम योग्यता सूची (final merit list) प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।
- प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा में तीन (THREE) प्रश्न-पत्र शामिल होंगे((प्रश्न-पत्र -I, प्रश्न-पत्र -II और प्रश्न-पत्र -III)। प्रश्न-पत्र-II और प्रश्न-पत्र-III का मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो प्रश्न-पत्र-I में न्यूनतम अर्हता अंक

(न्यूनतम थ्रेशोल्ड अंक - जिसका निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा) प्राप्त करेंगे। अंतिम योग्यता सूची प्रश्न-पत्र-II और प्रश्न-पत्र-III में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

- स्क्रीनिंग कमेटी (Screening Committee) ट्रेड टेस्ट/प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी।
- चयन समिति (Selection Committee) का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी (binding) होगा।

चरण-I: ट्रेड टेस्ट (Stage-I: Trade Test):

एक विधिवत गठित चयन समिति (Selection Committee) उम्मीदवारों की पद के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए संबंधित विषयों में ट्रेड टेस्ट और प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा आयोजित करेगी।

चरण-II: प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा (Stage-II: Competitive Written Examination):

परीक्षा की पद्धति (Mode of Examination)	ओएमआर (OMR) आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा । (Objective Type Multiple Choice Examination)
प्रश्नों का माध्यम (Medium of Questions)	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किए जाएंगे।
परीक्षा का स्तर (Standard of exam)	एसएससी (SSC) + आईटीआई (ITI) / बारहवीं (XII) कक्षा का स्तर
प्रश्नों की कुल संख्या (Total No. of Questions)	150
आवंटित कुल समय (Total Time Allotted)	02 घंटे 30 मिनट

प्रश्न-पत्र-I (आवंटित समय - 1 घंटा) [Paper-I (Time Allotted - 1 Hour)]:

विषय (Subject)	**प्रश्नों की संख्या (No. of Questions)**	**अधिकतम अंक (Maximum Marks)**	**नकारात्मक अंक (Negative Marks)**
Mental Ability Test*	50	100 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक)	इस प्रश्न-पत्र में कोई नकारात्मक अंक (negative marks) नहीं होंगे।

*** मानसिक क्षमता परीक्षण (Mental Ability Test) के अंतर्गत सामान्य बुद्धिमत्ता (General Intelligence), मात्रात्मक अभिरुचि (Quantitative Aptitude), तर्कशक्ति (Reasoning), समस्या समाधान (Problem Solving), स्थितिजन्य निर्णय (Situational Judgement) आदि शामिल हैं।**

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India CSIR-INDIA

प्रश्न-पत्र-II (आवंटित समय - 30 मिनट) [Paper-II (Time Allotted - 30 Minutes)]:

विषय (Subject)	प्रश्नों की संख्या (No. of Questions)	अधिकतम अंक (Maximum Marks)	नकारात्मक अंक (Negative Marks)
सामान्य जागरूकता (General Awareness)	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक (one negative mark)
अंग्रेजी भाषा (English Language)	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक (one negative mark)

प्रश्न-पत्र-III (आवंटित समय – 01 घंटा) [Paper-III (Time Allotted – 01 Hour)]:

विषय (Subject)	प्रश्नों की संख्या (No. of Questions)	अधिकतम अंक (Maximum Marks)	नकारात्मक अंक (Negative Marks)
संबंधित विषय** (Concerned Subject)	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक (one negative mark)

**** संबंधित विषय (Concerned Subject) पद के लिए विज्ञापित योग्यता पर आधारित है।**

टाई मामलों का समाधान (Resolution of Tie cases): ऐसे मामलों का समाधान जिसमें दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने समान कुल अंक (equal aggregated marks) प्राप्त किए हैं, सीएसआईआर (CSIR) के पत्र संख्या 5-1(211)/2014-पीडी दिनांक 30.05.2023 के अनुसार किया जाएगा। (अनुलग्नक-XII)

5. आवेदन कैसे करें (How to apply):

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

क. पात्र उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट https://www.ngri.res.in/ पर जाकर ऑनलाइन (ONLINE) आवेदन करना आवश्यक है। उम्मीदवारों से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी (hard copies) न भेजें।

ख. एक से अधिक पोस्ट कोड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में पोस्ट कोड दर्शाते हुए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन [प्राथमिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर] जमा करना होगा और प्रत्येक आवेदन के साथ अलग-अलग एसबी संग्रह शुल्क भुगतान रसीद होनी चाहिए।

ग. प्रत्येक पोस्टकोड के लिए प्रत्येक उम्मीदवार से केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अलग-अलग ईमेल आईडी के साथ एक ही पोस्टकोड के लिए कई ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है, तो केवल नवीनतम पूर्ण किए गए आवेदन पर विचार किया जाएगा और अन्य कई पंजीकरण (नों) के लिए भुगतान की गई आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त हो जाएगा।

घ. उम्मीदवार को पैनल के शीर्ष पर स्थित "न्यू रजिस्ट्रेशन" (New Registration) बटन पर क्लिक करके एक वैध ईमेल पते के साथ पंजीकरण करना होगा: (पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों का पालन करें) । सफल पंजीकरण प्रक्रिया के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स (लॉगिन विवरण) का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं।

ङ. यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई वैध ईमेल आईडी बनानी चाहिए और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय (active) रखना चाहिए।

च. आवेदन के उपर्युक्त चरणों की समय-सीमा (deadlines) इस प्रकार हैं: -

1. **पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन के शुल्क भुगतान के प्रारंभ होने की तिथि : 05.09.2026 (शनिवार) को पूर्वाहन 10.00 बजे से**
2. **ऑनलाइन आवेदन जमा करने / ऑनलाइन आवेदन के शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 04.10.2026 (रविवार) को अपराहन 06.00 बजे तक**

छ. **उम्मीदवारों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली अर्थात् एसबीआई कलेक्ट (SBI Collect) के माध्यम से निम्नलिखित लिंक का उपयोग करके "निदेशक, सीएसआईआर-एनजीआरआई" (Director, CSIR-NGRI) के पक्ष में 500/- रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है:**

https://sbcollect.sbi.bank.in/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=20666

(सरकार/पीएसयू/अदालतें(GOVT/PSU/COURTS) → अखिल भारतीय (All India) → राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) → तकनीशियन(1) के पद के लिए आवेदन शुल्क विज्ञापन संख्या 01/2026 (Application Fee for the post of Technician(1) vide Advt. No. 01/2026))

ज. **संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने के अधीन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन/महिला/भूतपूर्व सैनिकों (SC/ST/PwBD/Women/Ex-Servicemen) के लिए कोई शुल्क देय नहीं है (दिनांक 05.11.2024 के सीएसआईआर नीति प्रभाग परिपत्र संख्या 5-1(603)/2018-पीडी के तहत अधिसूचित सीएसआईआर निर्देशानुसार)।** निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर (summarily) खारिज कर दिया जाएगा। इस प्रकार के अस्वीकरण (rejection) के विरुद्ध किसी भी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

झ. उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर सादे पृष्ठभूमि (plain background) के साथ अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ रंगीन फोटो (सेल्फी नहीं), हस्ताक्षर (जो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए) और संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है।

ञ. जमा किए गए आवेदनों को वापस नहीं लिया जा सकता है, और एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में गैर-वापसीयोग्य (non-refundable) है। इसके अतिरिक्त, शुल्क को भविष्य की परीक्षाओं या चयनों के लिए आरक्षित नहीं रखा जा सकता है।

ट. यदि कोई बोर्ड, विश्वविद्यालय, या संस्थान सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई (CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI) ग्रेड आदि प्रदान करता है, तो उम्मीदवार को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रदान किए गए सूत्र (formula) का उपयोग करके इन्हें प्रतिशत में बदलना होगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी प्रतिशत परिवर्तन सूत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की जानी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रतिशत परिवर्तन सूत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, यदि लागू हो, आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा।

ठ. उम्मीदवार को अपने नाम, ईमेल पते और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स (लॉगिन विवरण) का उपयोग करके लॉग इन कर सकता है। उम्मीदवारों को सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए

आवेदन को सत्यापित (verify) या संपादित (edit) करना होगा कि यह सटीक और पूर्ण है। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद, उम्मीदवार को लागू होने पर भुगतान विवरण अपडेट करना होगा और आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए 'फाइनल सबमिट' (Final Submit) पर क्लिक करना होगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन या सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्ण किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट रखना महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को सबमिशन के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी चाहिए। उनसे उचित समय पर हार्ड कॉपी जमा करने का अनुरोध किया जाएगा।

ड. एक बार जमा (submit) हो जाने के बाद, आवेदन पत्र में किसी भी बदलाव या सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ढ. किसी अन्य व्यक्ति के नाम या फोटो का दुरुपयोग करने वाले फर्जी या मनगढ़ंत आवेदन या पंजीकरण के मामले में, उम्मीदवार और/या साइबर कैफे (cybercafé) उचित कानूनी कार्रवाई के लिए जवाबदेह होंगे।

ण. वर्तमान में सीएसआईआर / सरकारी संगठनों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (No Objection Certificate - NOC) अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा।

त. **अपूर्ण आवेदन अर्थात् नवीनतम फोटो के बिना, बिना हस्ताक्षर वाले, बिना आवेदन शुल्क के, या ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा किए गए दावों के समर्थन निर्धारित प्रारूप में लागू साक्ष्य/दस्तावेज़/प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त आवेदनों को अमान्य मानकर खारिज कर दिया जाएगा।**

थ. उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है। इस विज्ञापन के संबंध में किसी भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र (addendum/corrigendum) और अद्यतन (updated) जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट: https://www.ngri.res.in पर जाएँ।

द. उम्मीदवारों को अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना/सूचना पत्र नहीं भेजा जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से इस वेबसाइट पर आते रहने की सलाह दी जाती है।

ध. उम्मीदवारों को कोई अलग से बुलावा पत्र (call letters) डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। सभी अधिसूचनाओं और संचार के लिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है।

न. आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदान की गई कोई भी जानकारी उम्मीदवार पर बाध्यकारी (binding) होगी। यदि बाद के किसी भी चरण में प्रस्तुत जानकारी या विवरण झूठे पाए जाते हैं, तो वे कानूनी अभियोजन (prosecution) और नागरिक परिणामों (civil consequences) के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन नियम (validation rules) और डिज़ाइन विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं पर आधारित हैं और इस संबंध में किसी भी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और आवेदन पोर्टल पर "निर्देश" (Instructions) अनुभाग का संदर्भ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से यह गारंटी नहीं मिलती है कि उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। आवेदनों की बाद में संवीक्षा (scrutiny) की जाएगी और यदि बाद के चरणों में अपात्रता का पता चलता है, तो उन्हें

खारिज किया जा सकता है। आरक्षित पदों के लिए नियुक्तियाँ अनंतिम (provisional) होंगी, जो उचित माध्यमों से जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन होंगी। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन (SC/ST/OBC/EWS/PwBD) की स्थिति का उम्मीदवार का दावा झूठा या गलत है, तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी; और इसके लिए उचित समझी जाने वाली आगामी कानूनी कार्रवाई पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. कदाचार / अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई

उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय ऐसा कोई विवरण न दें जो झूठा, छेड़छाड़ किया गया या मनगढ़ंत हो और उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए। परीक्षा के समय, या बाद की चयन प्रक्रिया में, यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या रहा है) –

(i) अनुचित साधनों (unfair means) का उपयोग करने का, या

(ii) प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन/छद्मवेश धारण) करने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण कराने का, या

(iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करने या परीक्षा की सामग्री/प्रश्नों अथवा उसमें शामिल किसी भी जानकारी को पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से (मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल रूप से) किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करने, प्रकाशित करने, पुनरुत्पादित (reproduce) करने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने या इसके प्रसारण और संग्रहण को सुगम बनाने का, या

(iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने का, या

(v) अनुचित साधनों द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने का, या

(vi) ट्रेड टेस्ट/स्किल टेस्ट/परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने का,तो ऐसा उम्मीदवार खुद को आपराधिक अभियोजन (criminal prosecution) के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिए भी दायी होगा:

   a) उस परीक्षा से अयोग्य (disqualified) घोषित होने के लिए जिसका वह उम्मीदवार है।

   b) सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए डिबार (वर्जित) होने के लिए।

   c) सेवा समाप्ति (termination of service) के लिए, यदि वह पहले से ही सीएसआईआर-एनजीआरआई में शामिल हो चुका/चुकी है।

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

7. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं:</u>

क. 500/- रुपये के आवेदन शुल्क के लिए एसबीआई कलेक्ट ई-रसीद (SBI Collect e-receipt) / ट्रांजैक्शन संदर्भ की प्रिंट की गई प्रति (जहाँ कहीं भी लागू हो)।.

ख. उचित स्थान पर अपलोड किया गया नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।

ग. उचित स्थान पर अपलोड किए गए उम्मीदवार के हस्ताक्षर।

घ. नाम और जन्म तिथि के समर्थन में जन्म तिथि दर्शाने वाली एसएससी (SSC) / 10वीं कक्षा या समकक्ष की अंकतालिका (marksheet) / प्रमाणपत्र या जन्म तिथि दर्शाने वाला स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (School leaving certificate)।

ङ. यदि माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (Secondary School Certificate) में जन्म तिथि का उल्लेख नहीं है - तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत भारत में जन्मे बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार (Registrar of Births and Deaths) या नगर निगम (Municipal Corporation) या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।

च. उम्मीदवार/माता-पिता के नाम में परिवर्तन/नाम में विसंगति/नाम में भिन्नता के समर्थन में उपयुक्त प्राधिकारी से जारी राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) और शपथ पत्र (Affidavit) [यदि लागू हो]।

छ. आवश्यक योग्यताओं (essential qualifications) और किसी भी उच्च शैक्षणिक योग्यताओं के समर्थन में शैक्षणिक प्रमाणपत्र और/या अंकतालिकाएँ (marksheets)।

ज. जहाँ कहीं भी लागू हो, आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र (National/State Trade Certificate) और अंकतालिका/शिक्षु (Apprentice) प्रमाणपत्र।

झ. संबंधित बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा जारी सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई (CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI) ग्रेड आदि को प्रतिशत में बदलने का सूत्र (conversion formula) [यदि लागू हो]।

ञ. आवश्यक योग्यताओं में समकक्षता खंड (Equivalent clause) से संबंधित आदेश/पत्र, यदि लागू हो।

ट. प्रासंगिक अनुभव प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।

ठ. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार (GoI) के निर्धारित प्रारूप में जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/दिव्यांगजन (PwBD)/भूतपूर्व सैनिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

ड. अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन-क्रीमी लेयर (OBC - Non-Creamy Layer) के उम्मीदवारों से एक 'घोषणा पत्र' (Form of Declaration), जो आवेदन में उनके इस दावे का समर्थन करता हो कि वे तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर (OBC - Creamy Layer) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं (यह समुदाय प्रमाणपत्र के अतिरिक्त प्रस्तुत करना होगा)।

ढ. विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाओं के लिए उपयुक्त न्यायालय से निर्णय/डिक्री (Judgement/decree), ताकि तलाक या कानूनी अलगाव की स्थिति को सत्यापित किया जा सके, यदि लागू हो। इसके अतिरिक्त, यह पुष्टि करने वाला एक शपथ पत्र (affidavit) कि ऐसी उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

ण. वर्तमान में सीएसआईआर / सरकारी संगठनों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (No Objection Certificate - NOC) (अनुलग्नक-I)।

त. सीएसआईआर / सरकारी संगठनों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारियों द्वारा आयु में छूट (Age Concession) का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-II)।

थ. आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो।

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India CSIR-INDIA

नोट 1: अपलोड किए गए दस्तावेज़/प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से पठनीय (legible) होने चाहिए।

नोट 2: आवश्यक दस्तावेज़ों निर्धारित प्रारूप के बिना प्राप्त आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर (summarily) खारिज कर दिया जाएगा।

नोट 3: उम्मीदवारों को उचित समय पर स्व-प्रमाणित (self-attested) छायाप्रतियों के साथ मूल रूप (original) में दस्तावेज़ लाने के लिए कहा जाएगा।

नोट 4: पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति और टाइपिंग/लिखित परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी (binding) होगा।

नोट 5: जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस (SC/ST/OBC(NCL)/EWS) का दावा करते हैं, उन्हें संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा; जिसके बिना उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित (Unreserved) माना जाएगा, बशर्ते वे अनारक्षित उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हों।

अस्वीकरण (DISCLAIMER)

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने का पता चलने पर, उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य (disqualified) घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसे मामले वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन बाद में उनका पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता भूतलक्षी प्रभाव (retrospective effect) से लागू होगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सीएसआईआर-एनजीआरआई (CSIR-NGRI) द्वारा दिए गए या दिए जाने वाले स्पष्टीकरण/निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

हस्ताक्षरित/-
वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक (Sr. Controller of Administration)

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

प्रमाणपत्रों के प्रारूप (FORMATS FOR CERTIFICATES):

1. वर्तमान में सीएसआईआर / सरकारी संगठनों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (NO OBJECTION CERTIFICATE) का प्रारूप। (अनुलग्नक-I) (Annexure-I)
2. सीएसआईआर / सरकारी संगठनों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारियों द्वारा आयु में छूट (Age Concession) का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र। (अनुलग्नक-II) (Annexure-II)
3. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप। (अनुलग्नक-III) (Annexure-III)
4. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप। (अनुलग्नक-IV) (Annexure-IV)
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Form of declaration) का प्रारूप (यह समुदाय प्रमाणपत्र के अतिरिक्त प्रस्तुत करना होगा)। (अनुलग्नक-V) (Annexure-V)
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाणपत्र (Income & Asset Certificate)। (अनुलग्नक-VI) (Annexure-VI)
7. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांगजन (PwBD) उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दिव्यांगता प्रमाणपत्र (Disability Certificate) का प्रारूप [अनुलग्नक-VII (A), (B), (C)]। [Annexure-VII (A), (B), (C)]
8. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांगजन (PwBD) उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परीक्षार्थी की लिखने की शारीरिक अक्षमता/सीमा से संबंधित प्रमाणपत्र का प्रारूप। (अनुलग्नक-VIII) (Annexure-VIII)
9. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांगजन (PwBD) उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्वयं का स्क्राइब (लेखक) उपयोग करने के लिए वचनपत्र (Letter of Undertaking) का प्रारूप। (अनुलग्नक-IX) (Annexure-IX)
10. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Serviceman) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप। (अनुलग्नक-X) (Annexure-X)
11. अनुभव प्रमाणपत्र (Experience Certificate) का प्रारूप। (अनुलग्नक-XI) (Annexure-XI)
12. टाई मामलों का समाधान (Resolution of Tie cases) सीएसआईआर (CSIR) के पत्र संख्या 5-1(211)/2014-पीडी दिनांक 30.05.2023 (अनुलग्नक-XII)

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

अनुलग्नक-I (Annexure-I)

वर्तमान में नियमित कर्मचारी के रूप में सीएसआईआर / सरकारी संगठनों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि में कार्यरत अभ्यर्थी के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।

(संस्था / जारीकर्ता प्राधिकरण का पत्र शीर्ष)

सं................. **तारीख:** [दिन / माह / वर्ष]

विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] पर आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/संगठन के स्थायी/नियमित कर्मचारी हैं तथा [कार्यभार ग्रहण तारीख] से [वर्तमान पद] के पद पर कार्यरत हैं।

इस विभाग/संगठन को तारीख [विज्ञापन तारीख] के विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] के तहत विज्ञापित पद [पद कोड/पद] के लिए उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/संगठन को डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का नाम] के चयन प्रक्रिया में भाग लेने या नए पद पर उपयुक्त नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] वर्तमान में लागू आचरण नियमों के अंतर्गत किसी दंड का सामना नहीं कर रहे हैं और डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] न तो निलंबित हैं, न ही इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक या आपराधिक मामला लंबित है।

यह प्रमाण-पत्र उक्त विज्ञापन पर आवेदन करने के प्रयोजनार्थ आवेदक के अनुरोध पर जारी किया जाता है।

स्थान: ....

कृते [विभाग/संगठन का नाम],

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]
[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]
[संपर्क जानकारी]
[विभाग/संगठन का पता]

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

<u>अनुलग्नक -II (Annexure-II)</u>

आयु में छूट का दावा करने के लिए विभागीय अभ्यर्थियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं................. **तारीख:** [दिन/माह/वर्ष]

<u>विज्ञापन संख्या के लिए आवेदन करने के लिए आयु में छूट का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (संस्थान का नाम) का नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं और इस अवधि (इन अवधियों) के दौरान इनके द्वारा किए गए कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

प्रमाणित किया जाता है कि:

***(क)** डॉ./श्री/सुश्री .... (संस्थान का नाम) में .... से .... तक मूलतः स्थायी पद पर हैं।

अथवा

***(ख)** डॉ./श्री/सुश्री .... तारीख .... से .... तक .... (संस्थान का नाम) में .... के पद पर नियमित आधार पर लगातार अस्थायी सेवा में रहे हैं।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान: ....

कृते [संस्थान का नाम],

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

अनुलग्नक -III (Annexure-III)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... गाँव/शहर .... जिला/संभाग .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... की .... जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे निम्नांकित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

@ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित)
@ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
@ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@ संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@ संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
@ संविधान (अजजा) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
@ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

जारी...

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं,

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी .... के पिता/माता श्री/श्रीमती .... गाँव/कस्बा* /क्षेत्र .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को तारीख .... को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी .... और/या उनका* परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के .... जिला/संभाग* के गाँव/कस्बे* .... में रहते/रहती हैं।

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* स्थान: ....

तारीख: ....

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।
@ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश उद्धृत करें।
% वह पैराग्राफ हटा दें जो लागू नहीं है।
नोट: यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से कम का न हो)।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से कम का न हो।
(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
(v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

नोट: तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी से जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

<u>अनुलग्नक -IV (Annexure-IV)</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी __________ पुत्र/पुत्री __________ गाँव/कस्बा __________ जिला/मंडल में ____________ जाति से संबंधित हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख __________________* के संकल्प संख्या __________________________ के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और/या उनका परिवार सामान्यतः ____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ____________ जिला/मंडल में रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी), तारीख 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण), तारीख 14 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) और तारीख 27 मई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर: ________________

पदनाम: _____________________$

तारीख: ________________

(मुहर) ---

* यह प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी के रूप में बताई गई है।

समय-समय पर यथा संशोधित।

$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों वाली होगी।

नोट: यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

CSIR-INDIA
सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

अन्य पिछड़ा वर्ग' के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र

(जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं ______________________________ पुत्र/पुत्री श्री ____________________ निवासी गाँव/कस्बा/शहर __________________ जिला ____________________ राज्य ____________________ एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ______________________ जाति से हूँ, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 8-9-1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं तारीख 8-9-1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन, तारीख 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और तारीख 14 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त आवेदन की अंतिम तारीख तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

हस्ताक्षर: __________________________

पूरा नाम: __________________________

पता: __________________________

स्थान: _______________________

तारीख: _______________________

CSIR-INDIA
सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

.... सरकार

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या:............ तारीख : ....

वर्ष: .... के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... गाँव/गली, डाकघर, क्षेत्र .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटो नीचे प्रमाणित किया गया है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनके परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्त वर्ष .... के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है:

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर: ....

नाम: ....

पदनाम: ....

आवेदक का पासपोर्ट आकार का सत्यापित नवीनतम फोटो

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

*नोट 1: आय में सभी स्रोत जैसे वेतन, कृषि, व्यापार, पेशा आदि शामिल हैं।

**नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक 'परिवार' द्वारा विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपत्ति को जोड़ा जाएगा।

प्रपत्र-V

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(अंग विच्छेदन या अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात तथा अंधता के मामलों में)[नियम 18(1) देखें]

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (जिसमें केवल चेहरा दिखाई दे रहा हो)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्र संख्या. ....   दिनांक: ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... जन्म तिथि .... (दिन/माह/वर्ष) आयु .... वर्ष, पुरुष/महिला .... पंजीकरण संख्या .... मकान नंबर .... वार्ड/गाँव/गली .... डाकघर .... जिला .... राज्य .... के स्थायी निवासी, जिनका फोटोग्राफ ऊपर संलग्न है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(A) वह निम्नलिखित का/की एक मामला है:

- चलन दिव्यांगता (लोकोमोटर डिसेबिलिटी)
- बौनापन
- अंधता (दृष्टिहीनता)

(कृपया लागू होने वाले विकल्प पर सही (✓) का निशान लगाएँ)

(B) उसके मामले में निदान (डायग्नोसिस) .... है।

(A) दिशा-निर्देशों के अनुसार (दिशा-निर्देशों की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट की जाए), उसके/उसकी .... (शरीर का अंग) के संबंध में ....% (अंकों में) .... प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी चलन दिव्यांगता/बौनापन/अंधता है।

2. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज़ की प्रकृति (प्रकार)	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India

अनुलग्नक -VII (B) [Annexure – VII (B]

प्रपत्र-VI दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(बहु-दिव्यांगता के मामलों में) [नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (जिसमें केवल चेहरा दिखाई दे रहा हो)

प्रमाणपत्र संख्या........................ दिनांक:........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी ________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ________________ जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) _____________________ आयु ________ वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या _________________ मकान नंबर ______________ वार्ड/गाँव/गली _________________ डाकघर _________ जिला _________ राज्य _________ के स्थायी निवासी, जिनका फोटोग्राफ ऊपर संलग्न है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और हम संतुष्ट हैं कि:

(A) वह बहु-दिव्यांगता (मल्टीपल डिसेबिलिटी) का/की एक मामला है। नीचे अंकित की गई दिव्यांगताओं के लिए दिशा-निर्देशों (दिशा-निर्देशों की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट की जाए) के अनुसार उसकी स्थायी शारीरिक अक्षमता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन किया गया है, और इसे नीचे दी गई तालिका में संबंधित दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान (डायग्नोसिस)	स्थायी शारीरिक अक्षमता / मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	चलन दिव्यांगता (लोकोमोटर डिसेबिलिटी)	@		
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (मांसपेशीय दुर्विकास)			
3	कुष्ठ रोग मुक्त (कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति)			
4	बौनापन			
5	सेरेब्रल पाल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात)			
6	एसिड अटैक पीड़ित (तेजाब हमले के शिकार)			
7	अल्प दृष्टि (कम दिखाई देना)	#		
8	अंधता (दृष्टिहीनता)	#		
9	बधिर (बहरापन)			
10	श्रवण दोष (ऊँचा सुनना)			
11	वाक और भाषा दिव्यांगता (बोलने और भाषा की अक्षमता)			

12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (सीखने की विशिष्ट अक्षमता)			
14	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (स्वलीनता विकार)			
15	मानसिक बीमारी (मानसिक रुग्णता)			
16	गंभीर तांत्रिक स्थितियां (क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस)			
17	मल्टीपल स्केलेरोसिस			
18	पार्किंसंस रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(B) उपरोक्त के आलोक में, दिशा-निर्देशों (दिशा-निर्देशों की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट की जाए) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक अक्षमता निम्नलिखित है:
अंकों में: .... प्रतिशत
शब्दों में: . ... प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील (बढ़ने वाली) है / गैर-प्रगतिशील (न बढ़ने वाली) है / सुधार होने की संभावना है / सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन: (i) आवश्यक नहीं है **अथवा**
(ii) .... वर्ष .... महीने के बाद अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र (दिनांक)/(माह)/(वर्ष) तक ही वैध होगा।

@ - जैसे: बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर
\# - जैसे: एक आँख/दोनों आँखें
€ - जैसे: बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज़ की प्रकृति (प्रकार)	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India

प्रपत्र-VII दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में)[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (जिसमें केवल चेहरा दिखाई दे रहा हो)

प्रमाणपत्र संख्या.................................... दिनांक:..

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) .... आयु .... वर्ष, पुरुष/महिला .... पंजीकरण संख्या .... मकान नंबर .... वार्ड/गाँव/गली .... डाकघर .... जिला .... राज्य .... के स्थायी निवासी, जिनका फोटोग्राफ ऊपर संलग्न है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और मैं संतुष्ट हूँ कि वह .... दिव्यांगता का/की एक मामला है। दिशा-निर्देशों (निर्देश निर्दिष्ट किए जाएँ) के अनुसार उसकी शारीरिक अक्षमता/दिव्यांगता के प्रतिशत की सीमा का मूल्यांकन किया गया है, और इसे नीचे दी गई तालिका में संबंधित दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान (डायग्नोसिस)	स्थायी शारीरिक अक्षमता / मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	चलन दिव्यांगता (लोकोमोटर डिसेबिलिटी)	@		
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (मांसपेशीय दुर्विकास)			
3	कुष्ठ रोग मुक्त (कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति)			
4	सेरेब्रल पाल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात)			
5	एसिड अटैक पीड़ित (तेजाब हमले के शिकार)			
6	अल्प दृष्टि (कम दिखाई देना)	#		
7	बधिर (बहरापन)	€		
8	श्रवण दोष (ऊँचा सुनना)	€		
9	वाक और भाषा दिव्यांगता (बोलने और भाषा की अक्षमता)			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (सीखने की विशिष्ट अक्षमता)			
12	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (स्वलीनता विकार)			
13	मानसिक बीमारी (मानसिक रुग्णता)			
14	गंभीर तांत्रिक स्थितियां (क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस)			
15	मल्टीपल स्केलेरोसिस			
16	पार्किंसंस रोग			
17	हीमोफीलिया			

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India

18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(कृपया उन दिव्यांगताओं को काट दें जो लागू नहीं होती हैं।)

2. उपरोक्त स्थिति प्रगतिशील (बढ़ने वाली) है / गैर-प्रगतिशील (न बढ़ने वाली) है / सुधार होने की संभावना है / सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं है **अथवा**

(ii) .... वर्ष .... महीने के बाद अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र (दिनांक)/(माह)/(वर्ष) तक ही वैध होगा।

@ - जैसे: बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर

- जैसे: एक आँख/दोनों आँखें

€ - जैसे: बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज़ की प्रकृति (प्रकार)	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम एवं मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित (मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक /
सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर,
यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी
किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है) (मुहर सहित)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

टिप्पणी: यदि यह प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो सरकारी सेवक नहीं है, तो यह केवल तभी वैध होगा जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों।

टिप्पणी: मुख्य नियम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 489, दिनांक 15.06.2017 के तहत भारत के राजपत्र (गैजेट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित किए गए थे।

अनुलग्नक -VIII (Annexure – VIII)

परीक्षार्थी की लिखने की शारीरिक अक्षमता/सीमितता के संबंध में प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ________________ (दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो कि ________________ (दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत जैसा कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र में उल्लिखित है) से ग्रसित हैं, पुत्र/पुत्री ________________, निवासी ________________ (गाँव/जिला/राज्य) का परीक्षण किया है, और यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी दिव्यांगता के कारण उनमें शारीरिक अक्षमता/सीमितता है जो उनकी लिखने की क्षमता को बाधित करती है।

हस्ताक्षरमुख्य
चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन /
सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक
नाम एवं पदनाम:

सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य सेवा केंद्र का नाम (मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

टिप्पणी: प्रमाणपत्र संबंधित संकाय/दिव्यांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे: दृष्टिबाधित होने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ, चलन दिव्यांगता (लोकोमोटर डिसेबिलिटी) होने पर आर्थोपेडिक विशेषज्ञ / पी.एम.आर. विशेषज्ञ)।

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

स्वयं का लेखक/लिपिक (स्क्राइब) उपयोग में लाने के संबंध में वचनपत्र

मैं ________________________, ____________________________ (दिव्यांगता का नाम) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूँ, जो __________________________________ (परीक्षा का नाम) में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ, जिसका रोल नंबर (अनुक्रमांक) ______________________ है तथा परीक्षा केंद्र का नाम ________________________ (केंद्र का नाम) है, जो जिला _______________________________, (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम) में स्थित है। मेरी शैक्षणिक योग्यता __________________________________ है।

मैं एतद्द्वारा यह कथन करता/करती हूँ कि ____ (लेखक/लिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी (मेरे) को लेखक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक (स्क्राइब/रीडर/लैब असिस्टेंट) की सेवाएँ प्रदान करेगा।

मैं एतद्द्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी (लेखक की) शैक्षणिक योग्यता ______________________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता अधोहस्ताक्षरी (मेरे) द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं इस पद के लिए अपना अधिकार और उससे संबंधित सभी दावे खो दूँगा/दूँगी (मेरा दावा स्वतः ही निरस्त माना जाएगा)।

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने हेतु सेवारत/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र

कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए लागू प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि रैंक (पद) .... नाम .... जिनकी जन्म तिथि .... है, ने सेना (थल सेना), नौसेना/वायु सेना में .... से .... तक सेवा प्रदान की है।

2. उन्हें सैन्य सेवाओं से कार्यमुक्त किया गया है:

% a) निम्नलिखित के अतिरिक्त अन्य कारणों से कार्यकाल/कार्यभार पूरा होने पर:

(i) सेवा से बर्खास्तगी (डिस्मिसल) के द्वारा, या
(ii) दुराचार या अकर्मण्यता (अक्षमता) के कारण सेवामुक्त (डिस्चार्ज) किए जाने के द्वारा, या
(iii) उनके स्वयं के अनुरोध पर, परंतु अपनी पेंशन की पात्रता अर्जित किए बिना, या
(iv) ऐसी कार्यमुक्ति के लंबित रहने तक उन्हें रिजर्व (आरक्षित बल) में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

% b) सैन्य सेवा के कारण हुई शारीरिक दिव्यांगता (अक्षमता) के आधार पर।

% c) कम से कम पाँच वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अस्वस्थता/अशक्तता (इनवैलिडमेंट) के आधार पर।

3. वह समय-समय पर यथा-संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

स्थान: ....
दिनांक: ....

%. जो पैराग्राफ लागू न हो, उसे काट दें।

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम)
मुहर (SEAL)

B. सेवारत कर्मियों के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप

(उन सेवारत कर्मियों के लिए लागू जो एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त होने वाले हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि नंबर (सेवा संख्या) .... रैंक (पद) .... नाम .... दिनांक .... से सेना (थल सेना)/नौसेना/वायु सेना में कार्यरत (सेवारत) हैं।

2. वह दिनांक .... को अपने निर्धारित सेवा कार्यकाल (असाइनमेंट) की अवधि पूरी होने पर कार्यमुक्ति/सेवानिवृत्ति के लिए नियत हैं।

3. उनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है।

स्थान: ....
दिनांक: ....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम
मुहर (SEAL)

उपरोक्त प्रमाणपत्र 'B' प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार (सेवारत कर्मी) को निम्नलिखित वचनपत्र देना होगा:

एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त होने वाले सेवारत सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा दिया जाने वाला वचनपत्र

मैं यह समझता/समझती हूँ कि यदि इस भर्ती/परीक्षा, जिससे यह आवेदन संबंधित है, के आधार पर मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस दस्तावेजी साक्ष्य (प्रमाण) को प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और मैं समय-समय पर यथा-संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले लाभों का हकदार हूँ।

स्थान:

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर एवं नाम

C. उन सेवारत ECOs/SSCOs के लिए लागू प्रमाणपत्र का प्रारूप जिन्होंने अपना प्रारंभिक कार्यकाल (असाइनमेंट) पहले ही पूरा कर लिया है और जो विस्तारित कार्यकाल (एक्सटेंडेड असाइनमेंट) पर हैं

यह प्रमाणित किया जाता है कि नंबर (सेवा संख्या) .... रैंक (पद) .... नाम .... जिनकी जन्म तिथि .... है, दिनांक .... से सेना (थल सेना)/नौसेना/वायु सेना में कार्यरत (सेवारत) हैं।

2. उन्होंने दिनांक .... को अपने पाँच वर्ष का प्रारंभिक कार्यकाल (असाइनमेंट) पहले ही पूरा कर लिया है और वह दिनांक .... तक विस्तारित कार्यकाल (एक्सटेंडेड असाइनमेंट) पर हैं।

3. उनके नागरिक रोजगार (सिविल एम्प्लॉयमेंट) के लिए आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है और चयन होने पर, नियुक्ति प्रस्ताव (ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट) प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के नोटिस पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:

दिनांक:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम
मुहर (SEAL)

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India

अनुभव प्रमाणपत्र का प्रारूप

(केवल कंपनी के लेटर हेड पर जारी किया जाने वाला)

संख्या. .... दिनांक: ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि [कर्मचारी का नाम] (कर्मचारी आईडी: [आईडी/कोड]) दिनांक [शुरुआत की तिथि] से [अंतिम तिथि] तक [संगठन/कंपनी का नाम] में कार्यरत थे/थीं।

इस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने [पदनाम/पद का नाम] का पद संभाला।

[इस्तीफा देने के समय/वर्तमान रोजगार के समय], उनका वेतनमान (पे-स्केल), वेतन स्तर (पे-लेवल), और कुल पारिश्रमिक [राशि] प्रति [माह/वर्ष] था।

मुख्य कर्तव्य और जिम्मेदारियां: (अनिवार्य)

[जिम्मेदारी 1]

[जिम्मेदारी 2]

[जिम्मेदारी 3]

[जिम्मेदारी 4]

उम्मीदवार का आचरण (कंडक्ट)________________

कृते [विभाग/संगठन का नाम],

[जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

[जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम]

[जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/स्टैम्प]

[संपर्क सूत्र/विवरण]

[विभाग/संगठन का पता]

स्थान: _______________

दिनांक:________________

(*कृपया उन शब्दों को काट दें जो लागू नहीं होते हैं)

CSIR-INDIA
सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

अनुलग्नक - XI (Annexure –XI)

(CSIR letter No. 5-1(211)/2014-PD dated 30.05.2023)

Wherever two or more candidates have secured equal aggregated marks, the tie may be resolved in accordance with the order of precedence given below (ascending order), till tie is resolved:

No.	Mode of Selection	Order of Preference
a	**Direct recruitment by Selection through Interview only**	i. Date of Birth, with older candidate placed higher, ii. Candidate acquiring Essential Degree earlier placed higher, (**Note:** 'date/year of completion of Internship' will be taken as step (ii), if posts belongs to 'Medical Category') iii. Alphabetical order in which first names of the candidates appear.
b	**Direct recruitment by Selection through Written Test followed by Interview and merit is based on combined marks of Written Test and Interview**	i. Candidate with higher marks in the papers (which have been considered for preparation of merit) of Written Test placed higher, ii. Candidate with lesser negative marks, if applicable, in the papers (which have been considered for preparation of merit) of Written Test placed higher, iii. Date of Birth, with older candidate placed higher, iv. Candidate acquiring Essential Degree earlier placed higher, (**Note:** 'date/year of completion of Internship' will be taken as step (iv), if posts belongs to 'Medical Category') v. Alphabetical order in which first names of the candidates appear.
c	**Direct Recruitment through Written Test only and Written Test consists specialized paper for concerned subject/trade**	i. Candidate with higher marks in the papers of concerned subject/trade placed higher, ii. Candidate with lesser negative marks, if applicable, in the papers of concerned subject/trade of Written Test placed higher, iii. Candidate with lesser negative marks, if applicable, in the papers (which have been considered for preparation of merit) of Written Test placed higher, iv. Date of Birth, with older candidate placed higher, v. Candidate acquiring Essential Degree earlier placed higher, (**Note:** 'date/year of completion of Internship' will be taken as step (v), if posts belongs to 'Medical Category') vi. Alphabetical order in which first names of the candidates appear.
d	**Direct Recruitment through Written Test only (other than those mentioned in 'c' above)**	i. Candidate with lesser negative marks, if applicable, in the papers (which have been considered for preparation of merit) of Written Test placed higher, ii. Date of Birth, with older candidate placed higher, iii. Candidate acquiring Essential Degree earlier placed higher, (**Note:** 'date/year of completion of Internship' will be taken as step (iii), if posts belongs to 'Medical Category') iv. Alphabetical order in which first names of the candidates appear.
e	**Limited Departmental Competitive Examination**	i. Length of Service in the feeder Cadre, ii. Date of Joining CSIR (on regular service), iii. Date of Birth, with older candidate placed higher, iv. Alphabetical order in which first names of the candidates appear.